तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.27/2022**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
19.01.2023	पत्रावली पेश हुई। श्री रमेशचन्द्र सैनी, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी चतराराम कलबी पुत्र हीराराम कलबी, जाति– कलबी, निवासी– कलबी वास, कोजरा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकत्र एवं मालिक, फर्म विशाराम कलबी हीराराम कलबी, जे.के.पुरम, बसन्तगढ, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही अनुपस्थित। आवेदक श्री रमेशचन्द्र सैनी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा दिनांक 19.10.2021 को फर्म विशाराम कलबी हीराराम कलबी, जे.के.पुरम, बसन्तगढ, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी चतराराम कलबी से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ पनीर लूज का नमूना संख्या S-1488 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./661/Act/2021/758 दिनांक 28.10.2021 में अमानक (Sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रतिवादी के विरुद्ध प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 02.12.2022 को प्रतिवादी के अधिवक्ता श्री आसूराम कलबी उपस्थित हुये व वकालतनामा पेश किया। प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 13.01.2023 को प्रतिवादी चतराराम उर्फ छोटाराम ने अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रकरण में प्रतिवादी चतराराम उर्फ छोटाराम कलबी द्वारा जुर्म स्वीकार कर लिये जाने से प्रकरण में कोई साक्ष्य ली जाना उचित नही होने से प्रतिवादी के वकील की दिनांक 13.1.2023 को ही बहस सुनी गई, जिन्होनें यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी छोटा व्यापारी है एवं यह उसका प्रथम अपराध है तथा भविष्य में अमानक खाद्य सामग्री विक्रय नही करेगा, इसलिये कम से कम जुर्माना करके प्रकरण का निस्तारण करावे। हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा (हाल निलम्बित) दिनांक 19.10.2021 को दौराने गश्त समय 10.30 ए. एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म विशाराम कलबी हीराराम कलबी, जे.के.पुरम, बसन्तगढ, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता व मालिक की हैसियत से प्रतिवादी चतराराम कलबी पुत्र हीराराम कलबी, निवासी– कलबी ......लगातार	

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:33:02 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.27/2022**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	वास, कोजरा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ पनीर लूज बेचता है। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा दुकान के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग में आने वाले खाद्य पदार्थ पनीर लूज के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना मौके पर उपस्थित गवाह श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष प्रपत्र 5ए में विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता चतराराम को भरकर दी व रसीद प्राप्त की। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने डेयरी के डिप फ्रिज में स्टील के भिगोने में बिक्री हेतु मौजूद पनीर लूज लगभग 3 किलोग्राम को अच्छी तरह हिलामिलाकर एक रुप किया एवं इस एक रुप किये हुए पनीर लूज में से एक किलोग्राम पनीर खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 300/– (अक्षरे रुपये तीन सौ मात्र) विक्रेता चतराराम कलबी को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-1488, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ पनीर आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा स्वयं ने हस्ताक्षर किये। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने गवाह एवं प्रतिवादी चतराराम कलबी को चार अलग अलग साफ सूखी व खाली शीशी दिखाकर इन चार शीशीयों में खरीद शुदा पनीर को बराबर बराबर मात्रा में भरा एवं प्रत्येक नमूना शीशी में 20–20 बूंदे फार्मेलीन की डालकर शीशीयों को ढक्कन से एयर टाईट बन्द किया। चारों नमूना शीशीयों पर एक–एक लेबल लगाया एवं चारों नमूना शीशीयों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1488 को नियमानुसार गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार सील चपडी किया व प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर कराये व तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा स्वयं ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर विक्रेता, गवाह व तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा के हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने कार्यालय में पहुंचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उन पर नमूना लेते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के ....लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:33:02 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.27/2022**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने दिनांक 20.10.2021 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री विश्वजीत, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 19.10.2021 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा फर्म विशाराम कलबी हीराराम कलबी, जे.के.पुरम, बसन्तगढ, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही में खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता चतराराम कलबी से खाद्य पदार्थ पनीर को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की विधिवत कार्यवाही करते हुए जांच हेतु नमूनें का एक भाग मय फार्म नम्बर 6 के सीलबन्द लिफाफे के खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाया गया है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ पनीर के नमूना संख्या S-1488 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांकः L.S./661/Act/2021/758 दिनांक 28.10.2021 के अनुसार खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना संख्या S-1488 अमानक (Sub-standard) पाया गया है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी चतराराम उर्फ छोटाराम कलबी पुत्र हीराराम कलबी, जाति– कलबी, निवासी– कलबीवास, कोजरा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म विशाराम कलबी हीराराम कलबी, जे.के.पुरम, बसन्तगढ, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही ने अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ पनीर का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ पनीर का विक्रय करने के कारण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 के तहत प्रतिवादी चतराराम उर्फ छोटाराम कलबी पुत्र हीराराम कलबी, जाति– कलबी, निवासी– कलबीवास, कोजरा, ...लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:33:02 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.27/2022**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म विशाराम कलबी हीराराम कलबी, जे.के.पुरम, बसन्तगढ, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 5,000/– (अक्षरे रुपये पांच हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। साथ ही, प्रतिवादी चतराराम उर्फ छोटाराम कलबी पुत्र हीराराम कलबी, निवासी– कलबी वास, कोजरा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही को आदेशित किया जाता है कि उक्त आरोपित जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 7 दिवस में जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 17.2.2023 को पेश हो। (के.आर.खौड़) **अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट** **सिरोही**	

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:33:02 IST
Reason: SelfAttested